भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2357
दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना

2357. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ई–विधान परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) जिन राज्यों में उक्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन परियोजना आंध्र प्रदेश विधान सभा और आंध्र प्रदेश विधान परिषद में क्रियान्वित नहीं की जा रही है; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय ई–विधान परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर कब तक हस्ताक्षर हो जाएंगे?

उत्तर

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(**क**) राष्ट्रीय ई–विधान परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह को सुगम बनाना, सदन के पटल पर दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में रखना सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना आदान–प्रदान को सक्षम करना है, जिसका अंतिम लक्ष्य देश में विधानमंडलों को कागज रहित और डिजिटल बनाना है।

(ख) संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई–विधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधानमंडलों और उनकी संबंधित राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, मंत्रालय ने निम्नलिखित राज्य विधायी निकायों में राष्ट्रीय ई–विधान परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैंः–

1. पंजाब विधानसभा 2. ओडिशा विधानसभा 3. बिहार विधानसभा 4. बिहार विधान परिषद 5. मेघालय विधानसभा 6. मिजोरम विधानसभा 7. मणिपुर विधानसभा 8. गुजरात विधानसभा 9. नागालैंड विधानसभा 10. पुडुचेरी विधानसभा 11. त्रिपुरा विधानसभा 12. तमिलनाडु विधानसभा 13. सिक्किम विधानसभा 14. हरियाणा विधानसभा 15. उत्तर प्रदेश विधानसभा 16. उत्तर प्रदेश विधान परिषद17. झारखंड विधानसभा 18. जम्मू और कश्मीर विधानसभा 19. छत्तीसगढ़ विधानसभा 20. हिमाचल प्रदेश विधानसभा 21. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा 22. उत्तराखंड विधानसभा 23. असम विधानसभा 24. राजस्थान विधानसभा 25. मध्य प्रदेश विधानसभा 26. आंध्र प्रदेश विधानसभा 27. आंध्र प्रदेश विधान परिषद।

(ग) नहीं।

(**घ**) प्रश्न नहीं उठता।

*****